न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—177 सन् 2002

नंद किशोर सिंह वगै0.....................................वादीगण।

बनाम

परकालो देवी वगैरह.....................................प्रतिवादीगण।

दिनांक—19.01.2026

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 15.01.2026 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 18 'क' सीता सुंदर देवी थीं, जिनकी मृत्यु दिनांक 26.12.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। प्रतिवादी सीता सुंदर देवी के पति पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 18'क' का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 18 'क' सीता सुंदर देवी नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 18 'क' सीता सुंदर देवी थीं, जिनकी मृत्यु दिनांक 26.12.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ समय से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 15.01.2026 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।